



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 जून, 2014

आषाढ 6, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 1349/9-1-2014-52टी-89टी0सी0

लखनऊ, 27 जून, 2014

अधिसूचना

प0आ0-192

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करते हैं कि स्थानीय क्षेत्र जिसकी सीमा नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ सांक्रांतिक क्षेत्र होगा और उक्त सांक्रांतिक क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत बदलापुर, जनपद जौनपुर के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची-1

क्रम संख्या	ग्राम	गाटा का ब्यौरा
1	भलुआही	01 से 1023
2	बरौली	01 से 509
3	पुरानी बाजार	01 से 411
4	हंकारपुर	01 से 366
5	सुल्तानपुर	01 से 580
6	सरोखनपुर	01 से 1782
7	ऊदपुर घाटमपुर	288 और 291 से 567

क्रम संख्या	ग्राम	गाटा का ब्यौरा
8	ऊदपुर गेल्हवा	266 से 318, 327 से 331, 354 से 366, 888 से 890, 893 से 938, 946 से 970, 979, 982 से 988, 1001 से 1135, 1146 से 1149, 1203 से 1310, 3478 से 3492, 3501 से 3653, 3708 से 3725 और 3737 से 3745

अनुसूची-2

नगर पंचायत बदलापुर, जिला जौनपुर की चौहददी

पूरब चौहददी के ग्राम—	पट्टी दयाल, ऊदपुर गेल्हवा (आंशिक)।
दक्षिण चौहददी के ग्राम—	डंडवा, ऊदपुर घाटमपुर (आंशिक), अलाऊददीनपुर।
पश्चिम चौहददी के ग्राम—	विठुआ कला।
उत्तर चौहददी के ग्राम—	पुरामुकुन्द, अहिरौली, कस्तूरीपुर।

आज्ञा से,
श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1349/IX-1-2014-52T-89T.C., dated June 27, 2014:

No. 1349/IX-1-2014-52T-89T.C.
Dated Lucknow, June 27, 2014

IN exercise of the powers under Article 243-Q of the Constitution read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act. no. II of 1916), the Governor having regard to the population, the density of population the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance, is pleased to notify that the local area the limit of which is specified in the Schedule below, shall be a transitional area, for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Badalapur in district Jaunpur.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Villages	Details of Gattas
1	Bhaluahi	01 to 1023
2	Barauli	01 to 509
3	Purani Bazar	01 to 411
4	Hankarpur	01 to 366
5	Sultanpur	01 to 580
6	Sarokhanpur	01 to 1782
7	Oudpur Ghatampur	288 & 291 to 567
8	Oudpur Gelhwa	266 to 318, 327 to 331, 354 to 366, 888 to 890, 893 to 938, 946 to 970, 979, 982 to 988, 1001 to 1135, 1146 to 1149, 1203 to 1310, 3478 to 3492, 3501 to 3653, 3708 to 3725 & 3737 to 3745

SCHEDULE-II

Boundaries of Nagar Panchayat Badalapur in district Jaunpur.

East Boundary Village—	Patti Dayal, Oudpur Gelhwa (Partial).
South Boundary Village—	Dandwa, Oudpur Ghatampur (Partial), Allouddinpur.
West Boundary Village—	Vithua kala.
North Boundary Village—	Pura Mukund, Ahirauli, Kasturipur.

By order,
SHREE PRAKASH SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 173 राजपत्र (हि०)-2014-(477)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० नगर विकास-2014-(478)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।